



2026:AHC.9114

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 19719 वर्ष 2025

माया देवी

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उ. प्र. राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: अरुण कुमार भट्ट

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अरुण कुमार भट्ट और राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव को सुना गया।
2. रिट याचिकाकर्ता का दावा है कि उन्हें 15.03.2000 को बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के पद पर नियुक्त किया गया था, और वे 31.12.2025 को सेवानिवृत्त हुईं। उन्हें उनका सेवा अभिलेख प्रदान कर दिया गया है।
3. माननीय शासकीय अधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान पृष्ठ-33 की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि सेवा अभिलेख पहले ही तैयार कर लिए गए हैं और उन्हें रिट याचिकाकर्ता को सौंप दिया गया है।
4. जो भी हो, यदि रिट याचिकाकर्ता को कोई शिकायत है, तो वह मैनपुरी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो, जो इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत किए जाने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
5. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जनवरी 14, 2026

एन. एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।